न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।
जी0आर0नं0:—894 / 2021
ओबरा थाना कांड संख्या :—234 / 2021

29.09.2021 काराधीन अभियुक्त पवन कुमार पाण्डेय की ओर से शक्ति पत्र के साथ जमानत आवेदन दाखिल किया गया । आवेदन की प्रति विद्वान अभियोजन पदा0 को दी गई है ।

वाद पुकार पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि आवेदक निर्दोष है । आवेदक की ओर से उक्त जमानत आवेदन के अलावा किसी अन्य न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल नही किया है । प्राथमिकी में जिस तरह की घटना वर्णित है, वैसी कोई घटना आवेदक के द्वारा नही किया गया है । आवेदक को जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत सूचक ने फंसाया है । प्राथमिकी में थाना में प्राप्त सूचना तिथि 23.09.2021 समय 23:15 बजे दिखाया गया है और जप्ती सूची में तिथि एवं समय 23.09.2021 समय 21:25 बजे दिखाया गया है, यह काफी संदेहास्पद प्रतीत होता है । प्राथमिकी में वर्णित बातों एवं जप्ती सूची में वर्णित तथ्यों से यह मुकदमा पूर्णतः संदेहास्पद है । आवेदक दिनांकः—24.09.2021 से न्यायिक अभिरक्षा में है । अतः आवेदक को किसी भी राशि का जमानत दिया जाय ।

विद्वान अभियोजन पदाधिकारी जमानत का विरोध करते हैं ।

सुना । अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि उक्त वाद की प्राथमिकी धारा 25(1-b)a, 26/35 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किया गया है । संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि दिनांक—23.09.2021 को सूचक अपना गुरूजी लाईन होटल अरण्डा पर था कि समय करीब नौ बजे शाम को उक्त अभियुक्त सहित इस वाद के अन्य अभियुक्तगण आये और उक्त होटल में काम कर रहे मिस्त्री से उलझ गये तथा जब सूचक आया तो उक्त वाद के अन्य अभियुक्त छोटू कुमार अपने कमर से देशी कट्टा को लहराते हुए बोलने लगा की साला तुमलोगों को गोली मार देंगे । इस पर सूचक एवं उसका दोस्त लोग छोटू कुमार के हाथ से देशी कट्टा छिन लिये एवं उसके बाद तीनो लड.के को पकड. लिये, जिसमें एक अन्य लड.का जिसका सूचक नाम नही जानता है एवं छोटू पिस्टल सहित भाग गया और उक्त अभियुक्त भागने में सफल नही हो पाया । आवेदक के पास से एक देशी कट्टा जिसमें कारतूस लगा था सहित पॉच जिन्दा कारतूस बरामद हुआ, जिसे सूचक ने पुलिस को सौंप दिया । आवेदक के पास देशी कट्टा एवं कारतूस का कोई वैध कागजात नही था यानी वह अवैध था । आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है । जप्ती सूची अभिलेख पर है । आवेदक के विरूद्ध गम्भीर आरोप है। आवेदक के विरूद्ध अनुसंधान जारी है । अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों तथा आरोपित अपराध की प्रकृति तथां गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए आवेदक को जमानत की सुविधा प्रदान करना समीचीन प्रतीत नहीं होता है । ऐसी स्थिति में उपरोक्त आवेदक की ओर से दाखिल जमानत आवेदन खारिज किया जाता है।

उ0 अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।